न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 16/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/280

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 करनाराम पुत्र सोनाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–कालुपुरा पुर, पुलिस थाना–सांचौर		1 आसुराम पुत्र केहराराम 2 जालाराम पुत्र कालूराम 3 जावताराम पुत्र केहराराम 4 ठाकराराम पुत्र कालूराम 5 पूनमाराम पुत्र सोनाराम 6 बाबूलाल पुत्र सोनाराम 7 भागीरथ पुत्र सोनाराम 8 भीखाराम पुत्र कालूराम 9 भीखाराम गोदपुत्र कानाराम 10 मांगीलाल पुत्र मंगलाराम 11 मांगीलाल पुत्र सोनाराम 12 राजूराम पुत्र सोनाराम 13 वीरोदवी पत्नी मंगलाराम 14 गोरधन पुत्र गुलाबा 15 केहना पुत्र गुलाबा 16 जाला पुत्र गुलाबा 17 वगता पुत्र गुलाबा 18 हेमा पुत्र गुलाबा 19 गोरधन पुत्र सुजा 20 चुकी पत्नी भागीरथ 21 पालूदेवी पत्नी प्रेमाराम 22 बालीदेवी पत्नी राजूराम 23 [illegible] देवी [illegible]लाल 24 सुमित्रादेवी [illegible] 25 सुरता पुत्र सुजा 26 हरखूदेवी पत्नी बा[illegible] 27 किशना पुत्र रामू 28 धनीदेवी पत्नी चौखा 29 प्रेमा पुत्र रामू 30 बाबू पुत्र चौखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

31 कोजा पुत्र हुकमा

32 एलची देवी पत्नी उदाराम

33 राजूराम पुत्र उदाराम

34 अणसीदेवी पत्नी सोनाराम

35 रामलाल पुत्र गोकला

36 वीरादेवी पत्नी बाबुलाल

जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–

कालुपुरा, पुर, तहसील–सांचौर

जिला–जालोर

37 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी)

तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 24.12.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 36 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीप्राल दवे उपस्थित।
3. अपार्थी संख्या 37 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 07.02.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी मौजा कालुपुरा, पटवार हल्का–पुर का रहवासी है मौजा कालुपुरा का खेत खसरा नंबर 1326 रकबा 4.24 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 34 से 36 का सामलाती खातेदारी का कब्जा काश्त सुदा आया हुआ है उक्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से की आराजी में प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी आई हुई है। मौजा कालुपुरा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा खेत में स्थित रहवासी ढ़ाणी से कालुपुरा से पुर गांव जाने वाली पक्की सड़क तक प्रार्थी के आवागमन हेतु मौजा कालुपुरा में स्थित खसरा नंबर 1398 रकबा 2.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2042/1357 रकबा 4.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2044/1357 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible] रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1354 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1342 [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 1343/1691 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1341 गैर मुमकि[illegible], खसरा नंबर 1309 रकबा 2.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1310 रकबा 1.39 हैक्टेय[illegible] खसरा नंबर 2037/1314 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1315 रकबा 1.39 हैक्टेयर खसरा नंबर 1316 रकबा 2.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1327 रकबा 4.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1326 रकबा 4.24 हैक्टैयर मे से नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित हरे रंग से ए, बी, सी, डी, से ई तक 12 फीट चौड़ा रास्ता आया हुआ है उक्त रास्ता कदीमी से प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1326 में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी से कालुपुरा से पुर जाने वाली पक्की सड़क तक आवागमन में उपयोग व उपभोग में आता रहा है मौके पर रास्ता चलता है जो अडौसी पडौसी खेतो के खातेदारों व सार्वजनिक लोगो के आवागमन में उपयोग व उपभोग में आता रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1326 व प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी में आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित हरे रंग से मार्क ए, बी, सी, डी, ई तक प्रार्थी के कालुपुरा से पुर सड़क तक आवागमन हेतु मात्र रास्ता एक ही है उक्त रास्ता लोगो एवं अड़ौस पड़ौस में स्थित खेतों के काश्तकारो के सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग आता रहा है। प्रार्थी को प्रार्थी के आवागमन में उपयोग व उपभोग में आता रहा है जिसका नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित हरे रंग से मार्क ए, बी, सी, डी, ई भाग तक आया रास्ता का गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाकर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त करवाने का प्रार्थी को अधिकार होने से प्रार्थी को अधिकार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1326 से कालुपुरा से पुर जाने वाली सड़क पर खसरा संख्या 1398, खसरा नंबर 2042/1357, खसरा नंबर 2044/1357, खसरा नंबर 1353, खसरा नंबर 1354, खसरा नंबर 1342, खसरा नंबर 1343/1691, खसरा नंबर 1341, खसरा नंबर 1309, खसरा नंबर 1310, खसरा नंबर 2037/1314, खसरा नंबर 1315, खसरा नंबर 1316, खसरा नंबर 1327, खसरा नंबर 1326 में से होकर 13 फुट चौड़ा रास्ता कदमी से मौके पर आया हुआ है जो अड़ौसी पड़ौसी खेतों के खातेदारों व आम लोगों के सार्वजनिक रूप से व प्रार्थी के रहवासी घर एवं खातेदारी खेत में आवागमन में उपयोग उपभोग में कदमी से आता रहा है प्रथम सेटलमेंट यानि संवत् 2009 में हल्का अमीन ने भूलवंश राजस्व रेकर्ड में गेर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं किया और न ही ट्रैस नक्शे में तरमीम किया जबकि उक्त रास्ता प्रथम सेटलमेंट से पूर्व से ही मौके पर चलता आ रहा है एवं प्रार्थी व आम लोगों के सार्वजनिक रूप से आवागमन में उपयोग व उपभोग आता रहा है प्रार्थी को उक्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त कर ट्रैश नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पेश है नजरी नक्शा 'अ' प्रार्थना-पत्र का अभिन्न हिस्सा समझा जावें। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके मौजा कालुपुरा पटवार हल्का पुर में स्थित प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1326 में स्थित प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी से खेत खसरा संख्या 1398, खसरा नंबर 2042/1357, खसरा नंबर 2044/1357, खसरा नंबर 1353, खसरा नंबर 1354, खसरा नंबर 1342, खसरा नंबर 1343/1691, खसरा नंबर 1341, खसरा नंबर 1309, खसरा नंबर 1310, खसरा नंबर 2037/1314, खसरा नंबर 1315, खसरा नंबर 1316, खसरा नंबर 1327, खसरा नंबर 1326 में से होकर कालुपुरा से पुर गांव जाने वाली पक्की सड़क तक नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित हरे रंग से मार्क ए, बी, सी, डी, ई तक 12 फीट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त कर ट्रेस नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता तरमीम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.25 16:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 36 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा कालुपुरा में स्थित खसरा नंबर 1398, खसरा नंबर 2042/1357, खसरा नंबर 2044/1357, खसरा नंबर 1353, खसरा नंबर 1354, खसरा नंबर 1342, खसरा नंबर 1343/1691, खसरा नंबर 1341, खसरा नंबर 1309, खसरा नंबर 1310, खसरा नंबर 2037/1314, खसरा नंबर 1315, खसरा नंबर 1316, खसरा नंबर 1327, खसरा नंबर 1326 में से नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित अनुसार ए, बी, सी, डी, से ई तक 12 फीट चौड़ा रास्ता आया हुआ है। उक्त रास्ता करनाराम की ढ़ाणी से कालुपुरा से पुर जाने वाली पक्की सड़क तक कदीमी से लोगों के आवागमन में उपयोग व उपभोग में आता रहा है। जवाश पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वांके मौजा कालुपुरा में पटवार हल्का पुर में स्थित प्रार्थी करनाराम के घर से कालुपुरा से पुर जाने वाली पक्की सड़क तक नजरी नक्शा 'अ' में हरे रंग से प्रदर्शित 12 फीट चौड़ा रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, से ई तक गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1326 से कालुपुरा से पुर जाने वाली सड़क पर खसरा संख्या 1398, खसरा नंबर 2042/1357, खसरा नंबर 2044/1357, खसरा नंबर 1353, खसरा नंबर 1354, खसरा नंबर 1342, खसरा नंबर 1343/1691, खसरा नंबर 1341, खसरा नंबर 1309, खसरा नंबर 1310, खसरा नंबर 2037/1314, खसरा नंबर 1315, खसरा नंबर 1316, खसरा नंबर 1327, खसरा नंबर 1326 में से होकर 13 फुट चौड़ा रास्ता कदमी से मौके पर आया हुआ है जो अड़ौसी पड़ौसी खेतों के खातेदारों व आम लोगों के सार्वजनिक रूप से व प्रार्थी के रहवासी घर एवं खातेदारी खेत में आवागमन में उपयोग उपभोग में कदमी से आता रहा है प्रथम सेटलमेंट यानि संवत् 2009 में हल्का अमीन ने भूलवंश राजस्व रेकर्ड में गेर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं किया और न ही ट्रैस नक्शे में तरमीम किया जबकि उक्त रास्ता प्रथम सेटलमेंट से पूर्व से ही मौके पर चलता आ रहा है एवं प्रार्थी व आम लोगों के सार्वजनिक रूप से आवागमन में उपयोग व उपभोग आता रहा है प्रार्थी को उक्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त कर ट्रैश नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पेश है नजरी नक्शा 'अ' प्रार्थना–पत्र का अभिन्न हिस्सा समझा जावें। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके मौजा कालुपुरा पटवार हल्का पुर में स्थित प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1326 व प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी से खेत खसरा संख्या 1398, खसरा नंबर 2042/1357, खसरा नंबर 2044/1357, खसरा नंबर 1353, खसरा नंबर 1354, खसरा नंबर 1342, खसरा नंबर 1343/1691, खसरा नंबर 1341, खसरा नंबर 1309, खसरा नंबर 1310, खसरा नंबर 2037/1314, खसरा नंबर 1315, खसरा नंबर 1316, खसरा नंबर 1327, खसरा नंबर 1326 में से होकर कालुपुरा से पुर गांव जाने वाली पक्की सड़क तक नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्शित हरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.25 16:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

रंग से मार्क ए, बी, सी, डी, ई तक 12 फीट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त कर ट्रेस नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता तरमीम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वांके सरहद मौजा–कालुपुरा पटवार हल्का पुर में स्थित प्रार्थी करनाराम के घर से कालुपुरा से पुर जाने वाली पक्की सड़क तक नजरी नक्शा 'अ' में हरे रंग से प्रदर्शित 12 फीट चौड़ा रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, से ई तक गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड में गेर मुमकिन रास्ता दर्ज करावें। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित फिकरा संख्या 1 लगायत 4 सही होने से स्वीकार है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दस्तावेजात्, नजरी नक्शा एवं पटवारी हल्का पुर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह [illegible] केवल सुविधा उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2025.02.25 16:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 1326 में पहुंचने हेतु कोई रेकर्डेड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु पटवारी हल्का पुर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 से स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता खसरा संख्या 2044/1357 रकबा 0.13 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1398 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2042/1357 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1353 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1354 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1342 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1343/1691 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1309 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1310 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2037/1314 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1315 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1316 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1327 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1326 रकबा 0.03 हैक्टेयर मौके पर वर्तमान में रास्ता चल रहा है ग्राम कालुपुरा के खसरा संख्या 1326 में जाने इनके अलावा किसी दूसरी जगह से रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.25 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र [illegible] सरहद मौजा कालुपुरा पटवार हल्का पुर के खसरा संख्या 2044/1357 रकबा 0.1[illegible] हैक्टैयर, खसरा संख्या 1398 रकबा 2.60 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2042/1357 रकबा 4.74 हैक्टैयर मे से 0.09 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1353 रकबा 1.07 हेक्टैयर में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1354 रकबा 0.23 हैक्टैयर में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1342 रकबा 0.78 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1343/1691 रकबा 1.08 हैक्टेयर में

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1309 रकबा 2.80 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1310 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2037/1314 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1315 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1316 रकबा 2.27 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1327 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1326 रकबा 4.24 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर भूमि अर्थात् कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर में 12 फीट चौड़ा रास्ता के भाग की खातेदारान् की अभिघृति निर्वापित करते हुए खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का पुर की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कालुपरा के खसरा संख्या खसरा संख्या 2044/1357 रकबा 0.13 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1398 रकबा 2.60 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2042/1357 रकबा 4.74 हैक्टैयर मे से 0.09 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1353 रकबा 1.07 हेक्टैयर में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1354 रकबा 0.23 हैक्टैयर में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1342 रकबा 0.78 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1343/1691 रकबा 1.08 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1309 रकबा 2.80 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1310 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2037/1314 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1315 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1316 रकबा 2.27 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1327 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1326 रकबा 4.24 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर भूमि अर्थात् कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर में 12 फीट चौड़ा रास्ता के भाग की खातेदारान् की अभिघृति निर्वापित करते हुए खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त निर्वापित भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण नहीं लेना चाहते है अतः तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर स्वीकृत रास्ता चालु करावें। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक जाकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.02.25 16:34:03 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **07.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर